

# फर्द अहकाम

2/55/22

मालय

मुकाम

पवन कौरा

बनाम




कंवा-चंद कौरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकार जो जारी हुआ
<p><u>12/1/22</u></p>	<p>वकील जार्जो उपस्थित / पट्टा 510 फस 212                      12/1/22 वकील जार्जो ने मूल वाद के लाय फेरा                      सिपा / इजफं बिका हो इजफा गण उफे                      मोटे स ललब हो पत्रावली दिनांक 22/1/22                      को पेश हो</p> <p style="text-align: center;"><b>उपसुण्ड अधिकारी</b>                      गोविन्दाब (अलवर)</p>	
	<p>22/1/22 पत्रावली पेश / P.O. साहव                      ..... है।                      सा. नं. 1/22 को पेश हो                      पत्रावली दिनांक 21/1/22                      रीडर</p>	
	<p>5/1/23 पत्रावली पेश / P.O. साहव                      ..... है।                      सा. नं. 1/23 को पेश हो                      पत्रावली दिनांक 9.2.23                      रीडर</p>	
	<p>9/3/23 रजिस्टर्ड एडी की गई। डल घर                      की रसीद पेश की गई। तामिल जापिस                      लौट कर नहीं आई। इसलिए रसीद                      को मैनेजर रखते हुए और सायल                      की एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।                      आगामी पेशी तक और सायल को                      पाबन्द किया जाता है कि जोका 91                      रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे।                      पत्रावली वास्तु बहस दिनांक 9/3/23                      को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><b>उपसुण्ड अधिकारी</b>                      गोविन्दाब (अलवर) राज०</p>	

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ जिला अलवर

..... बनाम कृष्णदेव  
 पवन  
 प्रकरण सं. 2155/2022 तारीख रजू. 12.12.2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
<u>09.7.25</u>	पत्रावली पेश हुई। (उभय पक्षवाला उपपत्र पत्रावली वाले बहस फिनांक 09.7.25 को पेश हो।  उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ (अलवर) राज०	
<u>09.7.25</u>	पत्रावली पेश हुई। (उभय पक्षवाला उपपत्र पत्रावली वाले बहस ऑनलाइन भोग फिनांक 11.7.25 को पेश हो।  उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ (अलवर) राज०	
<u>11.7.25</u>	पत्रावली पेश हुई। (उभय पक्षवाला उपपत्र पत्रावली का मूल वाद सार्पना पत्र आदेश नमियम 11 भा० की० स्वीकार होने से खारिज हो गया है। अतः सार्पना पत्र -212 R/M चलोपे जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः सार्पना पत्र 212 R/M शकी सर पर खारिज (निलम्बित) किया जाता है। पत्रावली फिलाल 22 मार देर नम्बर से कम है। वाकतममी मूल वाद के साथ संलग्न हो। धन्यवाद।  उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ (अलवर) राज०	